[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 2, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 15/2017- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, तारीख 30 जून, 2017

सा.का.नि.___(अ) केन्द्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, उन सभी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों को, जोकि विशेष आर्थिक जोन की किसी इकाई या विकासकर्ता द्वारा प्राधिकृत प्रचालनों के लिए आयातित किए गए हों, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन लगाए जाने वाले संपूर्ण एकीकृत कर से छूट प्रदान करती है।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से लागू होगी।

[फा.सं.डीजीईपी/एसईज़ेड/09/2017]

(धर्मवीर शर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार